

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

पार्य-19

परियोजना से प्रभावित होने वाले बांज बुरास वृक्षों की गणना सूची।

सारजूला वीट के अन्तर्गत सारजूला कक्ष संख्या -01 में पेयजल निगम, चम्बा द्वारा जलाशय एवं ऑपरेटर कक्ष के नव निर्माण में आने वाले वृक्षों का व्यासवार विवरण।

क०सं०	वन प्रभाग	प्रजाति	व्यास				योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	
01	टिहरी	बांज	4	4	2	0	10


वन अधिकारी
टिहरी राज
चम्बा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रदेशीय वनाधिकारी
टिहरी राज
चम्बा


9.51
(शशीभूषण उनियाल)
अनुभाग अधिकारी
चम्बा नगर
(लक्ष्मण सिंह सजवाण)
क०सं० 37
अनियोजित


प्रमलाल डोमाल
व.वी. अधिकारी
सारजूला वीट

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-20

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि/ संरक्षित वन भूमि/ नाप भूमि

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
01	बांज	0-10	4	90	360
		10-20	4	180	720
		20-30	2	360	720
		कुल योग	10		1800

राजि अधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमाणित वनाधिकारी
प्रमाणित वनाधिकारी
नई टिहरी

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप - २०४

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

क०सं०	वन प्रभाग	प्रजाति	व्यास				योग
			०-१०	१०-२०	२०-३०	३०-४०	
०१	टिहरी	बांज	४	४	२	०	१०


वन विभाग
टिहरी राज
चम्बा जिला

प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-21

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र.सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि	10	10	
2.	सिविल सोयम	—	—	
3.	वन पंचायत	—	—	
4.	संरक्षित वन	—	—	
	योग:- वनभूमि	—	—	
5.	नाप भूमि	—	—	
	कुल योग:-	10	10	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 10 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल10..... वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

अधिसासी भियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा
जल निगम, चम्बा, टि०गढ०।

जल संयंत्र विकास
टिहरी राजि
नई दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रदेशीय वनाधिकारी
विहरी राजि, चम्बा भाग,
नई दिल्ली।

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रा०प-२२

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल की नगरपालिका चम्बा हेतु चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 27.07.2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र० सं०	ब्लाक/ वन प्रभाग	प्रजाति	व्यास वर्ग				योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	
01	सारजूला वीट कक्ष संख्या 01	बांज	4	4	2	0	10

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


वन अधिकारी
टिहरी राज
गढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमुख वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

वन संरक्षक

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-22

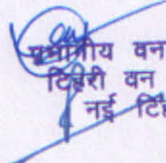
वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27.07.2019 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क०सं०	वन प्रभाग	प्रजाति	व्यास				योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	
01	टिहरी	बाँज	4	4	2	0	10

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।


वन संरक्षक
टिहरी राज
नई दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

स्थलीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई दिल्ली

वन संरक्षक

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-२३

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से वन प्रभाग टिहरी में 10 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।


वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी राज
नई दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी नई दिल्ली

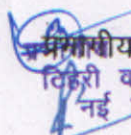
परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रा०-२५

वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल की नगरपालिका चम्बा हेतु चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन एवं सिविल सोयम भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि योजना के निर्माण में 10 वृक्षों का पातन हो रहा है ।


वन क्षेत्राधिकारी, टिहरी राउ
नई टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रदेशीय वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप - 24

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निगम, चम्बा, टि० गढ०।
ए० निर्माण निगम, चम्बा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वन प्रभाग,
टि० गढ० नई टिहरी।

वृक्ष क्षेत्राधिकारी
टि० गढ० राजि
नई टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
टि० गढ० वन प्रभाग
नई टिहरी